ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
PUNJAB & SIND BANK
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/AGovt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

असाधारण सामान्य बैठक

Extraordinary General Meeting

सोमवार, 11 मार्च, 2013, प्रातः 9:00 बजे

Monday, 11 March, 2013, 9:00 A.M.

स्थान :

वायु सेना ऑडिटोरियम

सुब्रौतो पार्क,

नई दिल्ली-110 010

Venue :

Air Force Auditorium,

Subroto Park,

New Delhi – 110010

विषय सूची

CONTENTS

क्रम सं. S.No.	विषय Subject	पृष्ठ सं. Page No.
1.	सूचना NOTICE	3 9
2.	टिप्पणियां NOTES	4 10
3.	व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	5 11
4.	प्रॉक्सी फॉर्म PROXY FORM	7 13
5.	उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	8 14

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
PUNJAB & SIND BANK
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/AGovt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

सूचना

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2008 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रौतो पार्क, नई दिल्ली - 110010 में सोमवार, 11 मार्च, 2013 को प्रात: 9.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मद संख्या 1 अधिमान आधार पर इक्विटी शेयर निर्गमन

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद योजना कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में विनियम कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति , बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में 'निदेशक मंडल' कहा गया है , जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रू. 10/- प्रति शेयर है, को निर्धारित मूल्य रू. 70.66 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें रू. 60.66 का प्रीमियम सम्मिलित है), सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 के अनुसरण में भारत सरकार को 1,98,13,189 तक इक्विटी शेयर अधिमान आधार पर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आबंटन करें।"

यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 08.02.2013 है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में जारी अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा तथा सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार अवरूद्धता अवधि की अपेक्षताओं के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित यदि घोषित हो) सभी दृष्टियों से समान माने जाएंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामलें और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो ईक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक

होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नही होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय अथवा कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हेतु उचित करें।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.02.2013

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक कथन

बैठक में कार्य व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्यात्मक जानकारी अनुबंध में दी गई है।

2. वोटिंग का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों का 1% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नही कर पाएगा/पाएगी। उपर्युक्त के अध्यधीन ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ खड़ा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा तथा मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए वोट देने का अधिकारी होगा तथा केंद्रीय सरकार के अलावा उसके पास अधिकतम 10% कुल अधिकार होंगे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2008 (विनियम) के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर, दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसको वोटिंग के संबंध में उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने का पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नही है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नही होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नही किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियम संख्या 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखित का कोई प्रदाता ऐसी किसी बैठक में स्वयं वोट देने का अधिकारी नही होगा जिससे वह लिखित संबंध रखता है।

प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक को अपने प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, (शेयर विभाग), 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् बुधवार, 06 मार्च, 2013 को सांय 5.00 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाए।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति ऐसे निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हों, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण सामान्य बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और ना ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि, बैठक की तारीख से 4 दिन पहले अर्थात् बुधवार, 06 मार्च, 2013 को सांय 5.00 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, (शेयर विभाग), 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को प्राप्त हो जाए ।

5. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/प्रॉक्स धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक-स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिखें।

6. कृपया शेयरधारक नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नही किए जाएंगे।

7. जिन शेयरधारकों के नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक 08 फरवरी, 2013 (शुक्रवार) अर्थात् निर्धारित अंतिम तिथि को होंगे, वो बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने के पात्र होंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(डी.पी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.02.2013

व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटन

सेबी (आईसीडीआर) की शर्तों के अंतर्गत् आवश्यक प्रकटन:

क) अधिमान निर्गम के उद्देश्य

वर्तमान में, भारत सरकार के पास रू. 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के 18,30,56,000 ईक्वटी शेयर हैं जो कि बैंक के कुल ईक्विटी शेयरों के 78.16% है। जब कि आम जनता के पास बैंक के रू. 10/-प्रत्येक अंकित मूल्य के 5,11,52,000 इक्विटी शेयर हैं जो कि बैंक के कुल इक्विटी शेयरों के 21.84% है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, के दिनांक 17.01.2013 के पत्र सं. एफ.नं. 11/6/2012-बी ओ ए के तहत बैंकिंग कम्पनी अधिनियम,1980 (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) की धारा 3(2बी) के खण्डए(बी) के तहत इक्विटी शेयर के निर्गमन हेतु पूंजी निवेश का निर्णय लिया गया है क्यों कि बैंक की चुकता पूंजी में अंशदान का अधिकार भारत सरकार की अंशदान की शक्तियों में निहित है।

बैंक ने पूंजीगत शक्ति को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता में सुधार लाने हेतु भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन तथा अन्यक नियामक अनुमोदन/अनुपालन के सम्बन्ध में अधिमान आधार पर निर्गम मूल्य 70.66 रु. प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्यि 10/-रु. प्रति इक्विटी शेयर (रुपये 60.66 प्रति इक्विटी शेयर किस्त सहित), भारत सरकार के 1,98,13,189 इक्विटी शेयर आबंटित तथा जारी करना प्रस्तावित किया जाता है।

ख) भारत सरकार इस अधिमान निर्गम में निवेश करेगी। निर्गम के मूल्य् का निर्धारण सेबी आईसीडीआर अधिनियम के विनियम 76 के अनुसार किया जाएगा। निर्गम मूल्यि निश्चित करने की सम्बन्धित तिथि 08.02.2013 है।

ग) भारत सरकार को अधिमान शेयरों को जारी करने से पहले तथा उसके बाद, बैंक का शेयरधारिता स्वरूप निम्नलिखित होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात् धारिता स्वरूप	
		शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
क	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	18,30,56,000	78.16	20,28,69,189	79.86
ख	गैर-प्रवर्तक धारिता	5,11,52,000	21.84	5,11,52,000	20.14
	कुल	23,42,08,000	100.00	25,40,21,189	100.00

घ) बैंक का प्रयास है कि पूंजी निर्गम प्रक्रिया को सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम में दी गई निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जाए।

ड.) भारत सरकार को 1,98,13,189 के ईक्वटी शेयरों को आबंटन करने के कारण, भारत सरकार की धारिता 20,28,69,189 (79.86%) हो जाएगी। यद्यपि, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नही होगा।

च) निर्गम से पहले तथा बाद में भारत सरकार की शेयरधारिता निम्न प्रकार हो जाएगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पहले	18,30,56,000	78.16
निर्गम के बाद	20,28,69,189	79.86

छ) बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध हुए छः महीनों से अधिक हो गए हैं और तदानुसार, सेबी आईसीडीआर अधिनियमों के अधिनियम 76 (3) और 78 (5) के अंतर्गत् प्रावधान तथा अधिनियम 73 (1)(f) एवं (g) के अंतर्गत् प्रकटन लागू नही हैं।

ज) सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के खण्ड 78 की शर्तों अनुसार भारत सरकार के इक्विटी शेयरधारिता अवरुद्धता का विषय है। भारत सरकार को अधिमान आधार पर आबंटित इक्विटी शेयर उनके आबंटन की दिनांक से तीन वर्ष हेतु अवरुद्ध किए जाने का प्रस्ताव है। यद्यपि अधिमान आबंटन की दिनांक से छः माह की अवधि तक भारत सरकार को अधिमानपूर्व आबंटित समस्त शेयरधारिता सम्बन्धित दिनांक से अवरुद्ध होगी।

झ) बैठक में सांविधिक लेखाकारों द्वारा जारी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाएगा जो यह प्रमाणित करेगा कि निर्गम को इन अधिनियमों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद लाया जा रहा है। दिनांक 11 मार्च, 2013 की असाधारण आम बैठक में उक्त प्रमाणपत्र की प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध की जाएगी।

ञ) भारत सरकार के सभी ईक्वटी शेयर अमूर्त रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीबद्धता करार के अंतर्गत् इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों का अनुपालन कर रहा है जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

ट) भारत सरकार के पक्ष में जारी किए जा रहे इक्विटी शेयर सेबी(आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के अधीन होंगे जैसा भी उस समय लागू हो जिसमें कोई संशोधन भी सम्मिलित है।

ठ) कोई भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्ति इक्विटी शेयरों में अभिदान नही देगा।

ड) उपर्युक्त ढंग से जारी किए गए इक्विटी शेयर घोषणा के समय जोर दिए गए संवैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों (घोषित लाभांश सहित, यदि कोई हो तो) से समान होंगे।

ढ) इस संकल्प को आपके अनुमोदन हेतु आपके निदेशक पारित किए जाने की संस्तुति करते हैं।

ण) बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से अथवा भारत सरकार के नामित के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की हद तक संकल्प की सूचना से संबंद्ध अथवा उसमें रूचि रखने वाला माना जाएगा।

अन्य सूचना :

शेयर धारक कृपया ध्यांन दें कि बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नही किए जाएंगे।

सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ एवं अन्य वस्तुएं ऑडिटोरियम के अन्दर ले जाने की स्वीकृति नहीं है। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सामान की सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.02.2013

(डी.पी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

फोलियो सं.....
(मूर्त शेयरों हेतु)

डीपी आईडी .....
ग्राहक आईडी सं.....
अमूर्त शेयरों हेतु)

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फार्म (शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम.....राज्य.....के जिला.....का/की/के निवासी.....पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा .....राज्य के .....जिला के निवासी श्री/श्रीमती.....को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिला.....के निवासी श्री/श्रीमती.....को सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013 को प्रात: 9:00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण आम बैठक में जोकि एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रौतो पार्क, नई दिल्ली -110010 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी / हमारी ओर से मेरे / हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ / करते हैं ।

.....माह के .....दिन 2013 को हस्ताक्षरित

कृपया रसीदी टिकट चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल शेयर धारक के हस्ताक्षर
नाम व पता

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने सबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नही होगा जब तक कि:
   क) वैयक्तिक शेयर धारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
   ख) संयुक्त शेयर धारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयर धारक द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
   ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नही लिख पाता है , यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
3. प्रॉक्सी के साथ:
   क. अटर्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
   ख. नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकार की प्रति पजांब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-11008 को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 06 मार्च, 2013 (5.00 बजे सांयकाल) से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ।
4. यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटर्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए ।
5. यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "बी" पर नही है तथा विधिवत् स्टाम्प नही है तो वह वैध नही माना जाएगा ।
6. बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा ।
7. यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म पर विचार नही किया जाएगा।
8. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नही होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है ।
9. पजांब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार नही होगा ।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

असाधारण सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पास

दिनांक 11 मार्च, 2013, समय: प्रात: 9:00 बजे

स्थान: एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली -110010

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	फोलियो/डीपीआईडी/क्लांइट आईडी संख्या	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

असाधारण सामान्य बैठक

दिनांक 11 मार्च, 2013, समय: प्रात: 9:00 बजे

स्थान: एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली -110010

प्रवेश पास

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	फोलियो/डीपीआईडी/क्लांइट आईडी संख्या	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से बैठक हॉल में प्रवेश हेतु अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर कर के प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के संबंध में पुन: सत्यापना/जाँच की जा सकती है।

नोट: बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नही किए जाएंगे। सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ एवं अन्य वस्तुएं ऑडिटोरियम के अन्दर ले जाने की स्वीकृति नहीं है। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सामान की सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

PUNJAB & SIND BANK

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/AGovt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 57 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK will be held on ***Monday, the 11th day of March, 2013 at 9.00 a.m. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110010***, to transact the following business:

Item No. 1 Issue of Equity Shares on Preferential Basis.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the **"Act"**) read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the **"Scheme"**) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the **"Regulations**") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India **(RBI)**, Government of India **(GOI)**, Securities and Exchange Board of India **(SEBI)**, and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [**SEBI (ICDR) Regulations]** and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"Board"** which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot up to **1,98,13,189** Equity Shares to the Government of India, of the face value of Rs. 10/- each on preferential basis at a issue price of **Rs.70.66** per Equity Share (including premium of **Rs. 60.66** per equity share) determined in accordance with Regulation 76 of SEBI (ICDR) Regulations as amended from time to time."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the **Relevant Date** for determination of the Issue Price is **08.02.2013."**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari* passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: **08.02.2013**

(D. P. SINGH)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on a show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% at the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (Regulations) if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

As per the Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office Accounts Department (Share Cell), 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not **later** than **FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, the 6th March 2013.**

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution

appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at HO Accounts Department (Share Cell), 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not **later** than **FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, the 6th March 2013.**

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum- Entry Pass as **"proxy"** or **"Authorised Representative"** as the case may be.

6. Shareholders may kindly note that no gifts/gift coupon will be distributed at the meeting.

7. Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank on 8th February 2013, (Friday) being the cut-off Date fixed, shall be entitled to attend and vote at the meeting.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date : 08.02.2013

[D. P. SINGH]
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURES

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations:

a) Objects of the Preferential Issue :

Presently, 18,30,56,000 Equity Shares of the Bank of Face Value of 10/- each accounting for 78.16% of the total Equity Shares of the Bank are held by the Government of India, while 5,11,52,000 Equity Shares of the Bank of Face Value of 10/- each accounting for 21.84% of the total Equity Shares of the Bank are held by the public.

The Department of Financial Services of the Ministry of Finance, Government of India vide its letter no. F.No.11/6/2012-BOA dated 17.01.2013 has decided to infuse capital funds for issue of equity shares under Clause (b) of Section 3 (2B) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as the Government of India is vested with the powers to contribute to the paid up capital of the Bank.

In order to strengthen the capital base and to improve capital adequacy, the Bank has proposed to issue and allot **1,98,13,189** Equity Shares to the Government of India, of the face value of Rs. 10/- each on preferential basis at a issue price of **Rs. 70.66** per Equity Share (including premium of **Rs. 60.66** per equity share), subject to necessary approvals from the Government of India and other regulatory approvals/compliances. The capital raised would be utilized to improve the capital adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) This preferential issue will be subscribed by the Government of India. The issue price has been determined in accordance with Regulation 76 of SEBI (ICDR) Regulations. The relevant date for ascertaining the issue price is **08.02.2013**.

c) The share holding pattern of the Bank before and after Preferential issue of shares to the Government of India will be as under :

S No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares held	Percentage of shareholding	No. of Shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (GOI)	18,30,56,000	78.16	**20,28,69,189**	**79.86**
B	Non- Promoter Holding	5,11,52,000	21.84	5,11,52,000	**20.14**
	Total	**23,42,08,000**	**100**	**25,40,21,189**	**100**

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations.

e) Consequent to the preferential allotment of **1,98,13,189** Equity Shares to the Government of India, the equity shares holding of the Government of India will stand increased to **20,28,69,189 (79.86%)** and there will be no change in control.

f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	18,30,56,000	78.16
Post – issue	**20,28,69,189**	**79.86**

g) The Equity Shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

h) The Equity Shares holding of the Government of India shall be subject to Lock-In in terms of Clause 78 of SEBI ICDR Regulations, 2009. Equity shares proposed to be allotted on preferential basis to the Government of India shall be locked-in for three years from the date of their allotment, while the entire pre-preferential allotment shareholding of the Government of India shall be locked-in from the relevant date up to a period of six months from the date of preferential allotment.

i) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on **11th March, 2013**.

j) All the Equity Shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

k) The issuance of Equity Shares in favour of the Government of India shall be subject to SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.

l) None of the Directors or Key Management persons will subscribe to the Equity Shares.

m) The Equity Shares to be issued as above shall rank pari-passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

Your Directors recommend the resolution for your approval.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of the Government of India.

OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK
[D. P. SINGH]
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi
Date : 08.02.2013

Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
पी.एस.बी

Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi-110008

Folio No. .....
(if not dematerialized)

DP ID .....
Client ID No. .....
(if dematerialized)

FORM 'B'

PROXY FORM (To be filled in and signed by the Shareholder)

I/We, ...resident(s) of ..... in the district of ..... in the state of .....being a shareholder/s of Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt. .....resident of .....in the district of ..... in the state of .....or failing him/her, Shri/Smt. .....resident of ..... in the district of .....in the state ..... of..... as my/our proxy to vote for me /us and on my /our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Monday, the 11th March, 2013 at 9.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110010** and at any adjournment thereof.

Signed this day of _____ 2013.

Revenue Stamp

Signature of Proxy

Signature of Sole / First shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a. in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing.
   b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing.
   c. in the case of a body corporate, by its authorised officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab & Sind Bank.
3. The proxy together with
   a. The Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   b. A copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Punjab & Sind Bank, Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi-110008, **not later than Wednesday, the 6th March, 2013 (5.00 p.m.)**
4. No proxy shall be valid unless proper revenue stamp is affixed on it.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of PUNJAB & SIND BANK.
9. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.

Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi-110008

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Date : 11th March 2013 Time : 9.00 A.M.
Venue : Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110 010.

ATTENDANCE SLIP
(To be surrendered at time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/ Authorised Representative Present

---

Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi-110008

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Date : 11th March 2013 Time : 9.00 A.M.
Venue : Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110 010.

ENTRY PASS
(To be surrendered at time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/ Authorised Representative Present

Shareholders/Proxy holders/Authorised representatives are requested to produce this Attendance - slip - cum Entry Pass duly signed for admission to the meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the Shareholders' Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/ checks, as may be deemed necessary.

Note : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting. Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

बुक पोस्ट
BOOK POST

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
PUNJAB & SIND BANK
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/AGovt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं:
लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि.
यूनिट: पंजाब एण्ड सिंध बैंक
44, कम्यूनिटी सेन्टर, द्वितीय तल
नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज- 1
निकट- पीवीआर नारायणा
नई दिल्ली 110028

If undelivered, Please return to :
Link Intime India Pvt. Ltd.
Unit : Punjab & Sind Bank
44, Community Centre, 2nd Floor,
Naraina Industrial Area, Phase-I,
Near PVR Naraina, New Delhi - 110028